



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में धोखाधड़ी से जाली नोटों का प्रयोग करने की घटना कारित करने के आरोपी अहसान व नाजमा उर्फ कुसुम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्तों 1.अहसान पुत्र नदीम अलवी व 2.नाजमा उर्फ कुसुम पुत्री रमेशचन्द्र/पत्नी नदीम अलवी निवासीगण कस्बा व थाना जानी जनपद मेरठ हाल पता राम पार्क कालोनी थाना ट्रानिका सिटी, जनपद गाजियाबाद द्वारा जाली नोटों के कारोबार, धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने/प्रयोग करने से संबंधित अपराध की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 514/23 धारा 489बी/489सी/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 27.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों अहसान व नाजमा उर्फ कुसुम को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री अमित खोखर एडीजीसी



नि0 श्री मधुर श्याम विवेचक



है0का0 रमेश कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी नदीम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 04 माह 09 दिन का कारावास व 1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त नदीम पुत्र पप्पू निवासी खान चौक चिरौड़ी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 537/22 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 27.07.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नदीम को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 04 माह 09 दिन के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री अभीराम गौतम एपीओ



उ0नि0 श्री सुभाष शर्माविवेचक



का0 अनुज कुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में लूट की घटना कारित करने के आरोपी इरफान को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष 06 माह का कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त इरफान पुत्र समयदीन निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 303/20 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 27.07.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इरफान को दोषी पाते हुए 04 वर्ष 06 माह के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल



श्री अभीराम गौतम एपीओ



उ0नि0 श्री रामकुमार विवेक



का0 आदित्य प्रताप कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 27.07.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 159/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.07.2026 को थाना रमाला पर वादी श्री सोनू पुत्र रोहताश ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. दानीश 2. नदीम 3. बिलाल 4. सोनू का छोटा भाई व 2,4 अन्य लकड़ों नि0गण नामालूम के द्वारा वादी के साथ मारपीट करना, गाली गलौच व जान से मारने की



धमकी देना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 159/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. बिलाल पुत्र फुरकान उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. नदीम पुत्र अनोस उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

3.समीर पुत्र इमरान उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत

2-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत

3-है0का0 781 नीरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 27.07.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 239/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 गाड़ी सेन्ट्रो नं0 DL-5CE-5465, गौवध करने के उपकरण व 01 प्रतिबंधित पशु बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौवंशीय पशु का वध कर उसके अवशेष रजवाहा (बम्बा) में फेंक दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना

सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 239/26 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिंघावली अहीर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के उपरांत घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 27.07.2026 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस ग्राम बिलौचपुरा के जंगल क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक सेंट्रो कार संख्या DL-5CE-5465 को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, एक सेंट्रो कार संख्या DL-5CE-5465, गोवध करने के उपकरण तथा 01 प्रतिबंधित पशु बरामद हुआ है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. साकिर पुत्र सईद निवासी रशीद नगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ। (घायल अवस्था में)

2. वसीम पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला व थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ। (घायल अवस्था में)

बरामदगी का विवरण—

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर,
- 01 सेंट्रो कार संख्या DL-5CE-5465,
- गोवध करने के उपकरण
- 01 प्रतिबंधित पशु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

- 3-उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4-उ०नि० श्री नकुल राठी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5-उ०नि० श्री अमित कुमार गोला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
6. है०का० 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
7. है०का० 210 दानवीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
8. है०का० 681 दीपक कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक- 27.07.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 532/26 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 स्प्लैन्डर मो०सा० नं० UP14V1854 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.07.2026 को थाना बडौत पर वादी श्री सागर कुमार पुत्र श्री सुरेश निवासी 30 फुटा, गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि बालअपचारी के द्वारा वादी की मो०साइकिल जिसका नं० UP-14-V-1854 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० मु०अ०सं० 532/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० मु०अ०सं० 532/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, जिसके कब्जे से चोरी की गई एक स्प्लैन्डर मो०सा० नं० UP14V1854 बरामद हुई हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बाल अपचारी के नाम का नाम व पता-

01 बाल अपचारी ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 754 मंजीत थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 769 सतेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत

